



अंत्योदय सरल



हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

महिला अधिकारिता योजना (एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के तहत आय उपार्जन योजना)

पात्रता :

1. महिला
2. आवेदक को सफाई कर्मचारी या उसका आश्रित होना चाहिये ।
3. स्थायी सफाई कर्मचारी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी सफाई के काम में लगे या कार्यरत होना चाहिये और उसके आश्रितों में शामिल होना चाहिये ।
4. आय की कोई सीमा नहीं है ।
5. प्रार्थी की आयु 18–55 वर्ष तक होनी चाहिये ।

लाभ

1. निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमान्त धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है ।
2. एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम महिला अधिकारिता योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 2,00,000/- रु0 तक है ।
3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/-रुपये है ।



अंत्योदय सरल



आवश्यक दस्तावेज़

- पहचान/नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई भी एक)
आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र ।
- निवास प्रमाण
राशन कार्ड
- सफाई कर्मचारी प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण पत्र (जैसे स्कूल कॉलेज वन स्वास्थ्य शिक्षा पशुपालन जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम न हो) नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का कोई अधिकारी)

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई खर्च नहीं	10/- ₹0	10/- ₹0

सेवा का अधिकार समय सीमा 135 दिन